प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.....**भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली**.....थाना..... **प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**.....
(प्र.सू.रि.स.) .....78/22.....दिनांक) .....09/03/2022.....
2. (अ) अधिनियम ...**भ्र0 नि0 (संशोधित) अधि. वर्ष 2018**..... धारायें.....**7**.....
(ब) अधिनियम .....धारायें.....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....182.....समय.....6.05 PM.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक .....**मंगलवार / 08.03.2022 / 10:35 ए.एम**.....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .....**06.03.2021**.....समय .....**12:30 पी.एम**.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित रिपोर्ट**
5. घटनास्थल.....**कस्बा सूरौठ़ स्थित आरोपी के किराये का ऑफिस**.....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी .....**बजानिव दिशा उत्तर–पूर्व, दूरी करीब 50 कि.मी**.....
(ब) पता .....बीट सख्या .....जरायम देही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम .....**श्री मोहन स्वरूप शर्मा**.....
(ब) पिता / पति का नाम .....**श्री ताराचन्द शर्मा**.....जाति.....**ब्राहमण**.....
(स) जन्म तिथि / वर्ष .....**50 वर्ष**.....
(द) राष्ट्रीयता.....**भारतीय** .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय.....
(ल) पता.....**पुष्प वाटिका कोलोनी, पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर**.....
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1– हीरा सिंह गंधार पुत्र अमृत सिंह, उम्र 27 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम जटवाड़ा, पुलिस थाना सूरौठ़, जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का धंधावली, तहसील सूरौठ़, जिला करौली।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–.....**कोई नही**.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
.....**2,000 / –रू0 रिश्वत राशि** .....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....**2,000 / –रू0 रिश्वत राशि** .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....**नहीं**.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):–

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली विषय भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते पकडवाने के क्रम मे:–महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी के ससुर साहब श्री भाग्यमल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 14–1–21 को बीमारी के कारण जयपुर मे हो गया। उनकी गावं सोहनपाल का पुरा तह. सूरौठ जिला करौली मे करीब 55 बीघा कृषि भूमि है। उनके स्वर्गवास होने के बाद उनकी कृषि भूमि आदि की देखभाल प्रार्थी द्वारा की जा रही है। पूर्व मे उनकी कृषि भूमि का नामांतरण उनके बारीसान के नाम खुलवाया तब हल्का पटवारी हीरासिंह ने 5000 रुपये लेकर नांमातरण खोला। दिनांक 27–12–21 को प्रार्थी को की पत्नी व अन्य बहिनो द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपने दोनो भाईयों विष्णु व मनीष के नाम रिलीज करा दी गयी । प्रार्थी द्वारा रिलीज डीड को विष्णु व मनीष के नाम नामांतरण खोलने हेतु पटवारी हीरासिंह को दे दिया मगर वह 5000 रुपये की मांग कर रहे है और अभी तक नामांतरण नही खोला है। प्रार्थी दिनांक 26–2–22 को नामांतरण के संबंध मे मिलने गया तो पटवारी ने 5000 रुपये देने पर ही नामांतरण खोलने को कहा जिस पर

प्रार्थी द्वारा दिनांक 26–2–22 को दो हजार रुपये उनको दे दिये मगर 3000 रुपये की और मांग कर रहा है। प्रार्थी पटवारी हीरासिंह को रिश्वत न देकर उसे रंगे हाथ रिश्वत देकर पकडवाना चाहता है। प्रार्थी की पटवारी हीरासिंह से कोई दुश्मनी नही है। पटवारी हीरासिंह हल्का ग्राम धंधावली तह. सूरौठ जिला करौली के विरुद्ध कार्यवाही की जावे रिपोर्ट पेश है। दिनांक 6–3–22 हस्ता. प्रार्थी मोहनस्वरुप शर्मा पुत्र श्री ताराचन्द शर्मा जाति ब्रहमण निवासी पुष्पवाटिका कोलोनी पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर Mob No-9413243895

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 06.03.2022 को समय 12:30 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा पुत्र श्री ताराचन्द शर्मा, उम्र 50 साल जाति ब्रहमण निवासी पुष्पवाटिका कोलोनी पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर नें उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वंय के आधार कार्ड की फोटोप्रति के भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते पकडवाने के क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के पदनाम से सम्बोधित कर श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस को पेश की। परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित व स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुए बताया कि मैं पुष्पवाटिका कोलोनी पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर का रहने वाला हूं। प्रार्थी के ससुर साहब श्री भाग्यमल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 14–1–21 को बीमारी के कारण जयपुर मे हो गया। उनकी गावं सोहनपाल का पुरा तह. सूरौठ जिला करौली मे करीब 55 बीघा कृषि भूमि है। उनके स्वर्गवास होने के बाद उनकी कृषि भूमि आदि की देखभाल प्रार्थी द्वारा की जा रही है। पूर्व मे उनकी कृषि भूमि का नामांतरण उनके बारीसान के नाम खुलवाया तब हल्का पटवारी हीरासिंह ने 5000 रुपये लेकर नांमातरण खोला। दिनांक 27–12–21 को प्रार्थी को की पत्नी व अन्य बहिनो द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपने दोनो भाईयों विष्णु व मनीष के नाम रिलीज करा दी गयी । प्रार्थी द्वारा रिलीज डीड को विष्णु व मनीष के नाम नामांतरण खोलने हेतु पटवारी हीरासिंह को दे दिया मगर वह 5000 रुपये की मांग करने लगा और नामांतरण नही खोला है। जिस पर प्रार्थी दिनांक 26–2–22 को नामांतरण के संबंध मे जरिये मोबाईल सम्पर्क कर पारस हॉस्पिटल के पास हिण्डौनसिटी मे मिलने गया तो पटवारी ने 5000रुपये देने पर ही नामांतरण खोलने को कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा उसी समय पटवारी को दो हजार रुपये दे दिये मगर 3000 रुपये की और मांग करने लगा जिस पर मन प्रार्थी ने रुपये नही होकर आयन्दा देने का वाहना बनायाजिस पर पटवारी ने 3–4 दिन बाद सम्पर्क कर शेष 3000 रुपये देने के लिये कहा है। प्रार्थी पटवारी हीरासिंह को रिश्वत न देकर उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता है। प्रार्थी की पटवारी हीरासिंह से कोई दुश्मनी नही है। पटवारी हीरासिंह हल्का ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ, जिला करौली के विरुद्ध कार्यवाही की जावे। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाये जाने हेतु मालखाना से विभागीय वॉईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) निकलवाकर परिवादी श्री मोहनस्वरुप शर्मा को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। वॉईस रिकार्डर को खाली किया जाकर श्री श्याम सिंह कानि. को बाद हिदायत सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वॉईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस कार्यालय में आकर पेश करें। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 01:20 पी.एम. पर परिवादी ने बताया कि मै हिण्डौन सिटी पहुंच कर पटवारी हीरासिंह से जरिये